पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ
PT. KUNJILAL DUBEY NATIONAL PARLIAMENTARY ACADEMY
पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल - 462 003 (म.प्र.)
Old Vidhan Sabha Campus, Bhopal - 462 003 (M.P.)
दूरभाष एवं फेक्स : [91] 755-2576141 / 2571330

क्रमांक/रासंवि./वा.वि./09-10/1456 भोपाल, दिनांक 18.11.09

प्रति,

कुलपति/प्राचार्य,

....,

....

भोपाल।

विषयः <u>विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में।</u>

...

संसदीय विद्यापीठ द्वारा राजधानी स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। वाद-विवाद का विषय **"लोकतंत्र में सांसदों/विधायकों हेतु किसी अर्हता का निर्धारण होना चाहिए अथवा नहीं?"** है।

2. उक्त प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 30.01.2010 को प्रातः 11.00 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन स्थल की सूचना पृथक से दी जाएगी। प्रतियोगिता की नियम शर्तें संलग्न हैं। उक्त प्रतियोगिता हेतु आप अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से किन्हीं दो विद्यार्थियों के नाम (एक पक्ष एवं एक विपक्ष) विद्यापीठ कार्यालय में दिनांक 15.01.2010 तक भिजवाने का कष्ट करें।

3. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ किसी एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

18/11/09

(डॉ. मंजुला शर्मा)
संचालक

वाद-विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2009-10 की नियम शर्ते

(1)	वाद-विवाद का विषय	"लोकतंत्र में सांसदों/विधायकों हेतु किसी अर्हता का निर्धारण होना चाहिए अथवा नहीं ?"
(2)	प्रतियोगिता की तिथि	30 जनवरी, 2010, प्रातः 11.00 बजे
(3)	नाम भेजने की तिथि	15 जनवरी, 2010
(4)	प्रतियोगिता का स्थान	उपलब्धता के आधार पर
(5)	समय-सीमा	05 मिनिट
(6)	माध्यम	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
(7)	प्रतिभागी संख्या	प्रत्येक संस्थान से 02 प्रतिभागी (01 पक्ष व 01 विपक्ष)
(8)	अंक	25

विषय वस्तु	10
भाषा एवं शैली	05
अभिव्यक्ति	05
समग्र प्रभाव	05

(9) निर्णायक मंडल के सदस्य -

1. संचालक, संसदीय विद्यापीठ
2. उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि
3. राजनीति-शास्त्र के प्रध्यापक
4. पत्रकारिता के क्षेत्र से
5. विधि-शास्त्र के प्राध्यापक

(10) प्रतियोगियों को पुरस्कार -

1.	प्रथम	रु. 3000.00
2.	द्वितीय	रु. 2000.00
3.	तृतीय	रु. 1000.00

नियम शर्ते -

1. प्रत्येक प्रतियोगी को अपने महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय-पत्र लाना अनिवार्य होगा, साथ ही संबंधित महाविद्यालय के एक प्राध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. प्रतियोगियों द्वारा वाद-विवाद में व्यक्तिगत आक्षेप एवं आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए।
3. वाद-विवाद प्रतियोगिता में शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए।
4. किसी धर्म, जाति, विशेष पर कटाक्ष न करें।

निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संचालक

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ
PT. KUNJILAL DUBEY NATIONAL PARLIAMENTARY ACADEMY
पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल - 462 003 (म.प्र.)
Old Vidhan Sabha Campus, Bhopal - 462 003 (M.P.)
दूरभाष एवं फेक्स : [91] 755-2576141 / 2571330

डॉ. मंजुला शर्मा
संचालक

अर्द्धशास. पत्र क्रमांक/रासं.वि./नि.प्रति./09-10/ 1230
दिनांक 12-10-09

विषयः <u>विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश स्तर पर निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2009-10 आयोजित करने बाबत।</u>

आदरणीय महोदय,

संसदीय विद्यापीठ द्वारा पिछले कुछ वर्षो से युवा वर्ग में संसदीय विषयों का चिंतन करने तथा लेखन द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

2. इस वर्ष निबंध प्रतियोगिता का विषय **"वर्तमान परिप्रेक्ष्य में द्वि-दलीय प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है?"** रखा गया है। यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। श्रेष्ठ निबंधों के लिए निम्नांकित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

क्र.	पुरस्कार	संख्या	पुरस्कार राशि
1.	प्रथम पुरस्कार	1	3000.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	1	2000.00
3.	तृतीय पुरस्कार	1	1500.00

3. उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त यदि एक ही स्थान पर दो प्रतिभागी विजयी होते हैं, तो उन्हें पृथक-पृथक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता की नियम शर्तें संलग्न प्रेषित हैं।

4. आशा है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आप अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित कर दिनांक 31-12-09 तक प्रतिभागी विद्यार्थियों की प्रविष्टियां भिजवाने की व्यवस्था करेंगें।

सहयोग की अपेक्षा के साथ,

भवदीया

12.10.09

(डॉ. मंजुला शर्मा)

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

-7-

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ
पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल

निबंध प्रतियोगिता की शर्तें

1. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों/शासकीय महाविद्यालयों के साथ भोपाल के अशासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

2. निबंध **"हिन्दी"** अथवा **"अंग्रेजी"** दोनों भाषाओं में लिखा जा सकता है।

3. निबंध अधिक से अधिक **2500 शब्दों** में होना चाहिए। सीमा से अधिक शब्द होने पर अंक काट दिए जाएंगे।

4. निबंध **ए-4 साइज़ के कागज़ पर टंकित अथवा हस्तलिपि** में ही भेजा जाए। हस्तलिपि में भेजा गया निबंध पठनीय होना चाहिए। बाएं हाथ की ओर कम से कम छः सेन्टीमीटर स्थान रिक्त छोड़ा जाना चाहिए, ताकि मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन करते समय असुविधा न हो।

5. निबंध समाप्ति के अंत में प्रतिभागी का **"नाम, कक्षा, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम, पता, स्वयं के हस्ताक्षर तथा सम्पर्क का दूरभाष क्रमांक"** अवश्य अंकित करें।

6. निबंध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुलपति/प्राचार्य के माध्यम से संसदीय विद्यापीठ को दिनांक 31-12-2009 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। निबंध के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें कि **"निबंध स्वरचित, मौलिक तथा अप्रकाशित है।"**

7. प्रतियोगिता के लिए प्राप्त निबंधों पर **संसदीय विद्यापीठ, भोपाल का स्वत्वाधिकार** होगा।

8. प्रविष्टियां **संचालक, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल** को इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वह निर्धारित अंतिम तिथि या इससे पहले संसदीय विद्यापीठ को प्राप्त हो जाए।

9. लिफाफे पर **"निबंध प्रतियोगिता की प्रविष्टि"** शीर्षक स्पष्ट रूप से अंकित करें।

9/10/09

(डॉ. मंजुला शर्मा)
संचालक